भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 952
दिनांक 5 फरवरी, 2026

तेल और गैस पाइपलाइनों की सुरक्षा को मजबूत करना

†952. **श्री परषोत्तमभाई रुपालाः**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बार-बार होने वाली आग लगने की घटनाओं को देखते हुए सरकार ने भूमिगत तेल और गैस पाइपलाइनों के पास अनधिकृत खुदाई को रोकने के लिए अनिवार्य खुदाई अनुमति, जियो-मैपिंग, सार्वजनिक मार्किंग और दंडात्मक कार्रवाई सहित कोई विशिष्ट निवारक उपाय किए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के समन्वय से तेल और गैस पाइपलाइनों की सुरक्षा के लिए एक समर्पित निगरानी और सुरक्षा तंत्र स्थापित किया है या स्थापित करने का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो ऐसे तंत्र और इसके कार्यान्वयन की स्थिति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने दक्षिण कोरिया के पाइपलाइन सुरक्षा कानून सहित अंतरराष्ट्रीय कानूनों का परीक्षण किया है और क्या सरकार का विचार देश में पाइपलाइन सुरक्षा, जवाबदेही और दुर्घटना रोकथाम को मजबूत करने के लिए इसी तरह के वैधानिक प्रावधानों को अपनाने का है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) और (ख) तेल एवं गैस कंपनियों ने भूमिगत तेल एवं गैस पाइपलाइनों को अनधिकृत खुदाई से बचाने के लिए विभिन्न उपाय क्रियान्वित किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, वास्तविक समय की निगरानी हेतु पर्यवेक्षी नियंत्रण एवं डेटा अधिग्रहण (एससीएडीए) प्रणाली, नियमित सुरक्षा गश्त, रिसाव की पहचान प्रणाली (एलडीएस), जन जागरूकता अभियान, पाइपलाइन में घुसपैठ की पहचान प्रणाली (पीआईडीएस), नकारात्मक दबाव तरंग रिसाव की पहचान प्रणाली, भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) आधारित पाइपलाइन मानचित्रण आदि शामिल हैं। पेट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाइन (पीएंडएमपी) अधिनियम, 1962 पाइपलाइन उपयोगकर्ता का अधिकार (आरओयू) क्षेत्रों में स्थायी संरचनाओं या वृक्षारोपण को प्रतिबंधित करता है तथा पाइपलाइनों को नुकसान पहुंचाने पर कारावास सहित दंड का प्रावधान करता है। प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्यक्रम के तत्वावधान में आस-पास की किसी भी नई परियोजना की सूचना गति शक्ति पोर्टल का उपयोग करके उपयोगकर्ता मालिकों को दी जाती है। इससे अतिक्रमण की संभावना का पता लगाने में मदद मिलती है। दूरसंचार विभाग ने सीबीयूडी (कॉल बीफोर यू डिग) नामक एक एप्लिकेशन विकसित किया है, जिसे तेल और गैस कंपनियां खुदाई एजेंसियों और तेल और गैस कंपनियों के भौगोलिक क्षेत्रों (जीए) के बीच समन्वय को सुगम बनाने के लिए क्रियान्वित कर रही हैं। इससे नगर गैस वितरण (सीजीडी) अवसंरचनात्मक ढांचे को होने वाली दुर्घटनाओं और नुकसान को कम किया जा सकेगा। पाइपलाइन के स्थान की पहचान करने, पाइपलाइन की गहराई निर्धारित करने और क्रॉसिंग कार्य के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) लागू हैं। इस प्रकार, तेल और गैस कंपनियां भूमिगत गैस और तेल पाइपलाइनों की सुरक्षा के लिए राज्य और केंद्र सरकार की एजेंसियों के साथ घनिष्ठ समन्वय बनाए रखती हैं।

(ग) नहीं.

*****